

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक - वि० प्रा० (I) व<sup>३</sup>-66/2002 पार्ट-I/3230/पटना, दिनांक - 18/9/19

आदेश

श्री रेवती रमण झा, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज को ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज (अतिरिक्त प्रभार) का बिहार कोषागार नियमावली- 2011 के नियम- 84 में निहित प्रावधानों के अधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में वित्तीय शक्ति प्रदत्त की जाती है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू समझा जाय।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
18.9.19

संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) व<sup>३</sup>-66/2002 पार्ट-I/3230/पटना, दिनांक - 18/9/19  
प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
18.9.19

संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (I) व<sup>३</sup>-66/2002 पार्ट-I/3230/पटना, दिनांक - 18/9/19  
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गोपालगंज/प्रभारी प्राचार्य, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज/आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
18.9.19

संयुक्त सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।